न्यायालयः — अमनदीपसिंह छाबङा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.कमांक—27 / 2013 संस्थित दिनांक—09.01.2013 फाई. क.234503001552013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

– – – अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

1.विजय कुमार पिता आनन्दराव, उम्र—21 वर्ष, निवासी वार्ड नं.19 गढ़ी थाना गढ़ी जिला बालाघाट। 2.पप्पू कुमार पिता नरेन्द्र कुमार सोनी, उम्र—25 वर्ष निवासी वार्ड नं.16 गढ़ी थाना गढ़ी जिला बालाघाट।

// निर्णय // (आज दिनांक 08/02/2018 को घोषित)

- 01. आरोपी विजय कुमार के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा—146/196 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 16.11.12 को शाम करीब 06:30 बजे बैहर से गढ़ी जाने वाली रोड सोनसिंह के घर के सामने ताज होटल के पास थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटर साइकिल कमांक एम.पी.50.एम.एस.7314 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत प्रेमसिंह को ठोस मारकर उपहित कारित किया एवं उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के चलाया तथा आरोपी पप्पू कुमार सोनी के विरूद्ध मो. वही. एक्ट की धारा—146/196 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के चलवाया।
- **02** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.11.12 को शासकीय अस्पताल बैहर की अस्पताल तहरीर जांच हेतु प्राप्त हुई थी,

जिसकी जांच में मूर्तर्जर प्रेमसिंह का मुलाहिजा फार्म भरकर एक्सीडेण्ट में आई चोटों का मुलाहिजा कराया। प्रेमसिंह एवं गवाह सोनसिंह के कथन लिये गये, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 16.11.12 की शाम 06:30 बजे सोनसिह को उसके घर मंजीटाला में छोड़ा और वापस शेरगढ़ लाज मुक्की जा रहा था, तभी सामने से बैहर तरफ से आ रही हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर कमांक एम.पी.50एम.सी.7314 के चालक ने तेज रफतार लापरवाहीपूर्वक चलाते लाया और उसकी मोटर सायकिल को ठोस मार दिया, जिससे उसके दाहिने पैर के जांघ एवं दाहिने हाथ के पंजे में चोट आकर खून निकला। उसे जहान साहब, राजकुमार, दीलिप मड़ावी, सोनसिंह आयाम एवं नरेश बिसेन ने सी.एच.सी. बैहर अस्पताल लाये। हीरो होण्डा मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.50एम.सी.7314 के चालक के विरूद्ध धारा-279, 337 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान वाहन का बीमा न होने से वाहन मालिक के विरूद्ध धारा-146 / 196 मो.व्ही.एक्ट एवं आरोपी विजय कुमार के विरूद्ध धारा-146 / 196 का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी विजय कुमार के विरूद्ध चालान क्रमांक 170/12 दिनांक 12.12.12 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

- 03— आरोपी विजय कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—धारा—279, 337 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा—146/196 तथा आरोपी पप्पू सोनी के विरूद्ध मो.व्ही. एक्ट की धारा—146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्निलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—
 01.क्या आरोपी विजय कुमार ने दिनांक 16.11.12 को शाम करीब
 06:30 बजे बैहर से गढ़ी जाने वाली रोड़ सोनिसिंह के घर के सामने

ताज होटल के पास थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटर साइकिल कमांक एम.पी.50.एम.एस.7314 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

- 02.क्या आरोपी विजय कुमार ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत प्रेमसिंह को डोस मारकर उपहति कारित किया ?
- 03.क्या आरोपी विजय कुमार ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के चलाया ?
- 04.क्या आरोपी पप्पू कुमार सोनी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के चलवाया ?

विवेचना एवं निष्कर्ण:-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02:-

- नोट-सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 05— साक्षी प्रेमसिंह मरकाम अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पूर्व शाम के लगभग 7:00 बजे की है। घटना दिनांक को वह मोटर सायिकल से सोनसिंह को छोड़ने उसके घर मंजीटोला गया था, जब वह सोनसिंह को उतार कर अपनी मोटर सायिकल को आने के लिये मोड़ा था, तभी बैहर तरफ से एक मोटर सायिकल चालक ने उसकी मोटर सायिकल को टक्कर मार दिया था, जिससे उसके दाहिने पैर में चोट लगी थी। उक्त दुर्घटना मोटर सायिकल वाले चालक की गलती से हुई थी, क्योंकि वह साईड पर खड़ा था। उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था।

- 06— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना में मोटर सायिकल चालक की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि घटना के समय अंधेला होने के कारण घटना कैसे हुई उसे नहीं मालूम, आरोपी से उसका राजीनामा हो गया है तथा पुलिस ने पूछताछ कर उसके कोई बयान नहीं लिये थे।
- 07— साक्षी नरेश कुमार अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता तथा प्रार्थी को जानता है। घटना उसके कथन से लगभग दो साल पुरानी ताज होटल के पास शाम के समय की है। उसे सोनसिंह गाईड द्वारा पता चला था कि प्रेमसिंह का एक्सीडेंट हो गया है, तब वह घटनास्थल पर पहुँचा था। उसने देखा कि वहाँ पर अन्य लोगों की भीड़ भी लगी थी, फिर रिसोर्ट की गाड़ी आई और हाँस्पिटल ले गये। उन्होंने देखा कि घटनास्थल पर स्प्लेंडर खड़ी थी और साईड में गैस सिलेंडर भी रखा था। उक्त वाहन का नम्बर याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर गया तो वहाँ पर काफी भीड़ हो चुकी थी तथा घटनास्थल का मार्ग काफी आवागमन का रास्ता है।
- 08— साक्षी सोनिसंह अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता तथा प्रार्थी को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने उसके समक्ष कोई घटनास्थल का मौका—नक्शा नहीं बनाया था, किन्तु मौका—नक्शा प्रपी.01 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिनांक 16.11.12 को शेरगड़ लॉज से प्रेमिसंह ने उसे शाम के समय छोड़ने आया था, उसके घर के सामने ताज रिसोर्ट भी है, प्रेमिसंह उसे छोड़कर अपने घर चला गया था, वापस लौटकर ताज रिसोर्ट आया, किन्तु

इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आई तो दौड़ कर गया था, प्रेमिसंह मरकाम गिरा पड़ा था। साक्षी के अनुसार खड़ा था। उसने मोटर सायिकल खड़ा देखा था, लेकिन स्प्लेंडर थी या नहीं। उसे आज उक्त वाहन का नंबर याद नहीं है। उसने प्रेमिसंह के एक्सीडेंट के संबंध में लोगों को खबर दिया था। लोगों ने उठा कर कहाँ ले गये थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रपी.01 पर हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर किया था, जब वह गया तो काफी लोग इकट्ठे हो गये थे और वहाँ पर अन्य मोटर सायिकल भी थी।

- 09— साक्षी जहानभुजबाला अ.सा.04 का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। वह आहत प्रेमिसंह को जानता है। घटना वर्ष 2012 को शाम के लगभग 7:00 बजे शकराहीटोला और मंजीटोला के बीच रास्ते की है। उसे बुलाने पर वह घटनास्थल पर गया था। वह प्रेमिसंह को गाड़ी में लेकर ईलाज हेतु बैहर शासकीय अस्पताल लाया था। उक्त दुर्घटना उसके समक्ष कारित नहीं हुई थी। आहत प्रेमिसंह के पैर में चोट लगी थी। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मोटर सायिकल क्रमांक एम.पी.50.एम.सी.7314 के चालक ने उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर प्रेमिसह मरकाम को ठोस मार दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना के समय मोटर सायिकल क्रमांक एम. पी.50.एम.सी.7314 के चालक के पास वाहन का बीमा नहीं था।
- 10— साक्षी जहानभुजबाला अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण से मिल गया है इसीलिए घटना में आरोपी की लापरवाही को छुपा रहा है एवं वाहन का घटना के समय बीमा नहीं होने के संबंध में जानकारी नहीं

होना बता रहा है, पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान प्रपी—2 लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना कैसे हुई उसे कोई जानकारी नहीं है और यदि पुलिस ने उसके कथन माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से पेश किया होगा तो इसका कारण नहीं बता सकता।

- 11— साक्षी गजेन्द्र पटले अ.सा.05 का कथन है कि उसके द्वारा थाना बैहर के अपराध कमांक 170/12 में जप्तशुदा मोटर साइकिल कमांक एम.पी.50/एम.सी.7314 का परीक्षण किया गया था। परीक्षण पर उसने वाहन का हेड लाईट, इंडीकेटर, टायर, साईलेंसर, ब्रेक, गियर, साईड ग्लास ठीक अवस्था में पाये थे। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना के समय थाना बैहर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था, थाने के समीप भी एक दो गैरेज है जहाँ पर विशेषज्ञ मैकेनिक है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 विवेचक के कहने पर बनाया था। यह स्वीकार किया है कि उसके परीक्षण के पूर्व यदि वाहन में सुधार कार्य किया गया हो तो उसे जानकारी नहीं है।
- 12— साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.०६ का कथन है कि वह दिनांक 16.11.2012 को सी.एच.सी बैहर में अस्थिरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को एक व्यक्ति प्रेमसिंह को रोड एक्सीडेंट के बाद चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जिसकी तहरीर प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को शाम 7:00 बजे सूचना पुलिस को दी गई। उक्त दिनांक को आरक्षक मोहन पटेल कमांक 171 थाना बैहर द्वारा प्रेमसिंह को लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसमें निम्न चोटें—एक इंसाईज्ड वुंड दांये जांघ पर पाया था, जिससे खून बह रहा था तथा एक कटा—फटा घांव दांये पंजे पर पाया था, जिससे खून बह रहा

था। उसके मतानुसार मरीज को चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया था। उक्त चोट का डी.एन.आर. किया गया। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि किसी सख्त व धारदार हथियार से आ सकती है। उक्त चोटें सात दिवस के अंदर ठीक हो सकती है, जो उसके जांच के 06 घंटे के भीतर की थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सभी चोटें गिरने से आ सकती है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उक्त चोटें स्वयं के द्वारा कारित की जा सकती है।

- 13— साक्षी लक्ष्मीचंद चौधरी अ.सा.07 का कथन है कि वह दिनांक 16.11.2012 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर उसके द्वारा थाना प्रभारी के आदेशानुसार अपराध कमांक 170/12 अंतर्गत धारा—279, 337 भा दं.वि. एवं 184, मो.व्ही. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक 17.11.2012 को घटनास्थल पर जाकर गवाह सोनसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 17.11.2012 को उसके द्वारा साक्षी सोनसिंह, जहान भुजबल, नरेश कुमार, राजकुमार, दिलीप मरावी तथा दिनांक 11.12.2012 को साक्षी पप्पू कुमार सोनी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे।
- 14— साक्षी लक्ष्मीचंद चौधरी अ.सा.०७ के अनुसार दिनांक 17.11.2012 को गवाह नरेश कुमार एवं जािकर अली के समक्ष मोटर सायिकल का नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया था, जो प्र.पी.०७ है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा वाहन मािलक पप्पू कुमार सोनी को धारा—133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस प्र.पी.०८ दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, नोटिस का जवाब उसी पृष्ठ पर वाहन मािलक द्वारा

दिया गया था, जिसमें उसने बताया था कि घटना के समय वाहन को आरोपी विजय कुमार चला रहा था, जिसके बी बी भाग पर वाहन मालिक पप्पू कुमार सोनी के हस्ताक्षर है। दिनांक 11.12.2012 को आरोपी विजय कुमार के पेश करने पर हीरो होण्डा मोटर सायकिल कमांक एम.पी.50.एम.सी. 7314 गवाह पप्पू कुमार एवं महिपाल सिंह के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 15— साक्षी लक्ष्मीचंद चौधरी अ.सा.०७ के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी बिजय कुमार को गवाह महिपाल एवं पप्पू कुमार के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी विजय कुमार के हस्ताक्षर है। आरोपी विजय को जमानत—मुचलका पर रिहा किया था। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन मोटर सायिकल कमांक एम.पी.50एस.सी.7314 का परीक्षण दिनांक 11.12.2012 को आरक्षक गजेन्द्र पटले से कराया गया था। विवेचना दौरान वाहन का बीमा नहीं होने के कारण वाहन मालिक पप्पू कुमार सोनी के विरुद्ध मो.व्ही. एक्ट की धारा—146/196 का ईजाफा किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
- 16— साक्षी लक्ष्मीचंद चौधरी अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी का नाम लेख नहीं है, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 में वाहन का नाम एवं नंबर बाद में पेन से लिखा गया है, आहत प्रेमसिंह ने अपने पुलिस कथन में गाड़ी का नंबर और आरोपी का नाम नहीं बताया था। साक्षी के अनुसार साक्षी सोनसिंह, नरेश कुमार, जहान भुजबल, राजकुमार, दिलीप मेरावी, पप्पू कुमार सोनी ने मोटर सायकिल स्पलेण्डर हीरो होण्डा प्लस कमांक एम.पी. 50एम.सी.7314 के चालक द्वारा तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक ठोस मारकर आहत को चोट पहुँचाना लेख कराया था। आहत प्रेमसिंह ने अपनी हीरो

होण्डा स्पलेण्डर लाल कलर की होना पाया था। साक्षी ने इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि लाल कलर की हीरो होण्डा स्पलेण्डर एक से अधिक हो सकती है, प्र.पी.01 मौका—नक्शा में घटनास्थल बताने वाले के कार्बन कापी हस्ताक्षर है। साक्षी के अनुसार मौका—नक्शा बनाते समय हस्ताक्षर करते समय कार्बन पेपर उल्टा लग गया था।

- साक्षी लक्ष्मीचंद चौधरी अ.सा.०७ ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव 17-पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.09 में जिस व्यक्ति से संपत्ति जप्त हुई है, उसका नाम, पिता का नाम, आयु एवं व्यवसाय में सफेदा लगाया गया है, घटना दिनांक के बाद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन की जप्ती लगभग 25-26 दिन बाद की गई थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा विवेचना में विलंब होने के कारण आरोपी के वाहन व आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसने साक्षीगण प्रेमसिंह, सोनसिंह, नरेश कुमार, जहान भुजबल, राजकुमार, दिलीप मेरावी, पप्पू कुमार सोनी के पुलिस कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिये थे, उसके द्वारा मौका नक्शा थाने में बैठकर बनाया गया था, जप्ती पत्रक उसके द्वारा झुठा तैयार किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वाहन परीक्षणकर्ता गजेन्द्र पटले उसका अधीनस्थ कर्मचारी था। साक्षी के अनुसार उसके पास रजिस्टर्ड लायसेंस है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन मौके से जप्त नहीं किया गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा उक्त प्रकरण में झूठी विवेचना की गई है।
- 18— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को सड़क दुर्घटना में आहत प्रेमिसंह को चोटें आई थी, परन्तु उक्त चोट अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण आचरण से कारित हुई थी, उक्त संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। स्वयं घटना के आहत प्रेमिसंह अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना में मोटर सायिकल चालक की कोई गलती नहीं थी, घटना के समय अंधेरा होने से

घटना कैसे हुई उसे नहीं मालूम, आरोपी से उसका समझौता हो गया है तथा पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अन्य किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है।

उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी–अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढ़ंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त विजय कुमार द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत प्रेमसिंह को ठोस मारकर उपहति कारित किया। अतः अभियुक्त विजय कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-03 एवं 04 का निष्कर्षः-

- नोट सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 एवं 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 20— साक्षी लक्ष्मीचंद चौधरी अ.सा.07 के अनुसार विवेचना के दौरान प्रकरण में अभियुक्त के पास बीमा न होने तथा वाहन मालिक द्वारा आरोपी को बिना बीमा के वाहन चलाने देने से उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध

धारा—146/196 का ईजाफा किया गया था। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये गये है कि घटना के समय उसके पास वाहन का बीमा नहीं था। दुर्घटना के समय बीमा होने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय बाहन को बिना बीमा के चलाया गया एवं वाहन मालिक अभियुक्त पण्णू कुमार सोनी द्वारा घटना के समय उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया गया। फलतः अभियुक्त विजय कुमार को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—146/196 तथा अभियुक्त पण्णू कुमार सोनी को मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा—146/196 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

- 21— अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उन्हें अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ देना अथवा उनके विरूद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उन्हें एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।
- 22— अतः अभियुक्त विजय कुमार को मोटर यान अधिनियम की धारा—146/196 के अपराध के लिए 1,000/—(एक हजार) रुपये तथा अभियुक्त पप्पू कुमार सोनी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—146/196 के अपराध के लिये 1,000/—(एक हजार) रूपये कुल 2,000/—(दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदंण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की राशि के लिए एक—एक माह का

साधारण कारावास भुगताया जावे।

- 23— अभियुक्तगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे है, उक्त संबंध में धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- 24- अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 25— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 50.एम.एस.7314 मय दस्तावेज के वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 26— अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

ELITATION STATES OF STATES